

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 13 मार्च, 2015/22 फाल्गुन, 1936(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

- दिन के लिए
- } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन :

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

- (i) समिति का 82वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;

- (ii) समिति का 83वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति का 84वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (iv) समिति का 85वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 11 मार्च, 2015 को श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री बम्बर ठाकुर, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 2015 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।”

शिमला-171 004
दिनांक: 12 मार्च, 2015

(सुन्दर सिंह वर्मा),
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)